[16/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 839]

परिशिष्ट–"अ"

तारांकित प्रश्न कमांक–839

माननीय विधायक– श्री अभय कुमार मिश्रा

(क) दिनांक 16.08.2022 को जनपद पंचायत सिरमौर में पदस्थ रहे श्री सुरेश कुमार मिश्रा उम्र 58 वर्ष निवासी धवारी थाना सिटी कोतवाली सतना हाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिरमौर जिला सतना के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट पर थाना सेमरिया में अपराध कमांक 354/22 धारा 341,342,294,147,148,149,307,353,332 ताहि का अपराध नामजद आरोपी मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू शुक्ला, विनय गौतम, विनय शुक्ला एवं अन्य 18–20 व्यक्तियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। एफ.आई.आर. में धारा 394 नहीं है, अपितु धारा 294 आई.पी.सी. है।

प्रकरण में विवेचना के दौरान प्रथम सूचना पत्र में नामजद आरोपी 1–मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू, 2–विनय शुक्ला, एवं अन्य आरोपियों में से 1–सत्यभान सिंह, 2–ध्रुव तिवारी जिला रीवा को प्रकाश में लाया जाकर उक्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में जमानत पर है। आरोपी अंकित विश्वकर्मा निवासी खारा जो अपनी सकूनत से फरार है।

फरियादी सुरेश कुमार मिश्रा के कथन अनुसार आरोपी विवेक गौतम, रन्नू पाण्डेय, रोहित शुक्ला, अंकित पाण्डेय, सनम उर्फ बोगा खान निवासी सेमरिया, राहुल सिंह निवासी रगौली, अमन सोनी निवासी सेमरिया, गौरव पाटकर निवासी सेमरिया, विजय गुप्ता निवासी सेमरिया, अरूणेन्द्र शास्त्री निवासी रीवा, राजीव अवस्थी निवासी रीवा, धर्मेन्द्र द्विवेदी एवं नीरज त्रिपाठी, को घटना में शामिल होना बताया गया है। जिनके संबंध में धारा 173(8) जा0 फौ0 के तहत विवेचना जारी कर साक्ष्य संकलित किये जा रहे है। इसी प्रकार प्रथम सूचना पत्र के नामजद आरोपी विनय गौतम मीडिया प्रभारी भाजपा की घटना में संलिप्तता के संबंध में धारा 173(8) जा0 फौ0 के तहत विवेचना जारी कर साक्ष्य संकलित किये जा रहे है।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–"ब"

तारांकित प्रश्न क्रमांक–839

माननीय विधायक– श्री अभय कुमार मिश्रा

(ख) गिरफ्तार अभियुक्त गणों 1–मनीष शुक्ला उर्फ सिद्धू पिता सुरेश शुक्ला उम्र 45 वर्ष निवासी सांव थाना चोरहटा, 2– विनय शुक्ला पिता विनोद शुक्ला उम्र 24 वर्ष निवासी बेला थाना सेमरिया, 3–सत्यभान सिंह पिता रामनरेश सिंह उम्र 38 वर्ष निवासी सांव, 4–ध्रुव तिवारी पिता घनश्याम तिवारी उम्र 19 वर्ष निवासी बेला थाना सेमरिया जिला रीवा तथां आरोपी अंकित विश्वकर्मा के विरूद्ध धारा 299 जा0 फौ0 के तहत अभियोग पत्र कमांक 389/2022 दिनांक 18.11.2022 तैयार कर प्रकरण कमांक 754/22 दिनांक 24.11.2022 पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

फरियादी श्री सुरेश कुमार मिश्रा के कथन अनुसार आरोपी विवेक गौतम, रन्नू पाण्डेय निवासी सेमरिया, रोहित शुक्ला, अंकित पाण्डेय निवासी सेमरिया, सनम उर्फ बोगा खान निवासी सेमरिया, राहुल सिंह निवासी रगौली, अमन सोनी निवासी सेमरिया, गौरव पाटकर निवासी सेमरिया, विजय गुप्ता निवासी सेमरिया, अरूणेन्द्र शास्त्री निवासी रीवा, राजीव अवस्थी निवासी रीवा, धर्मेन्द्र द्विवेदी एवं नीरज त्रिपाठी की घटना में संलिप्तता के संबंध में धारा 173(8) जा0 फौ0 के तहत विवेचना जारी कर साक्ष्य संकलित किये जा रहे है। साक्ष्य में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

फरियादी श्री सुरेश कुमार मिश्रा(मजरूब) को आई चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये एवं फरियादी के बताये अनुसार प्रथम सूचना पत्र में ताहि की धाराओं के साथ धारा 307 ताहि का समावेश किया गया था, किंतु फरियादी (मजरूब) की मेडिकल रिपोर्ट एसजीएमएच रीवा से प्राप्त की गई जिस पर डॉक्टर द्वारा आंख की चोट को ग्रीवियस हार्ट एवं दांत में फेक्चर होना लेख किया गया है तथा फरियादी (मजरूब) की आंख का उपचार सद्गुरू नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट जिला सतना में कराया गया है जहां से प्राप्त मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा चोट को "there is no permanent visual loss in both eyes at present" लेख किया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी रीवा से प्राप्त विधिक राय के अनुसार प्रकरण से धारा 307 ताहि पृथक की जाकर धारा 325, 333 ताहि का समावेश किया गया है।

फरियादी श्री सुरेश कुमार मिश्रा के कथन में बताये गये अरोपीगणों की घटना में संलिप्तता के संबंध में जानकारी संकलित करने बाबत् धारा 173(8) जा0 फौ0 के तहत विवेचना जारी कर साक्ष्य संकलित किये जा रहे है। साक्ष्य में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुभागीय अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, भो (1)
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

Scanned with CamScanner